न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/51/2020

प्रवेश तिथि 19.10.2020

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री भगवानसहाय, निवासी–प्लॉट नं. 131, प्रेम नगर, मालवीय नगर, जगतपुरा, जयपुर (राज0)–302017		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी थानागाजी (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 03.11.2020

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 27.07.2020 के माध्यम से उप जिला मजिस्ट्रेट, राजगढ (अलवर) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ग्राम पंचायत खोह, तहसील–राजगढ की विधानसभा क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची व अन्यान्य 2 बिन्दूओं पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया।
4. उप जिला मजिस्ट्रेट, राजगढ (अलवर) द्वारा पत्रांकः 333–334 दिनांकः 07.08.20 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी को अन्तरित किया गया।
5. प्रकरण में उक्तानुसार अन्तरण के बावजूद भी काफी समय पश्चात् सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 06.10.2020 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2020/664–65 दिनांकः 19.10.2020 के माध्यम से तलब कर दिनांकः 27.10.2020 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांकः निर्वा./लोसूअ/2020/807 दिनांकः 21.10.2020 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/51/2020

प्रवेश तिथि 19.10.2020

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री भगवानसहाय, निवासी–प्लॉट नं. 131, प्रेम नगर, मालवीय नगर, जगतपुरा, जयपुर (राज0)–302017		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी थानागाजी (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 03.11.2020

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 27.07.2020 के माध्यम से उप जिला मजिस्ट्रेट, राजगढ (अलवर) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ग्राम पंचायत खोह, तहसील–राजगढ की विधानसभा क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची व अन्यान्य 2 बिन्दूओं पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया।
4. उप जिला मजिस्ट्रेट, राजगढ (अलवर) द्वारा पत्रांकः 333–334 दिनांकः 07.08.20 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी को अन्तरित किया गया।
5. प्रकरण में उक्तानुसार अन्तरण के बावजूद भी काफी समय पश्चात् सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 06.10.2020 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2020/664–65 दिनांकः 19.10.2020 के माध्यम से तलब कर दिनांकः 27.10.2020 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांकः निर्वा./लोसूअ/2020/807 दिनांकः 21.10.2020 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

8. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा प्रेषित जवाब नोटिस का परीक्षण किया। पत्रावली का परीक्षण करने पर जाहिर हुआ कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का प्रथम आवेदन दिनांकः 27.07.2020, उपखण्ड अधिकारी राजगढ के पत्रांकः 333–34 दिनांकः 07.08.20 से अन्तरण पश्चात् उनके कार्यालय को किस तिथि को प्राप्त हुआ, का अंकन नहीं किया गया है। उक्त के अतिरिक्त उक्त आवेदन दिनांकः 27.07.2020, पत्रांकः निर्वा./लोसूअ/2020/167–170 दिनांकः 24.08.2020 के माध्यम से राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु अन्तरित किया गया है जो कि काफी विलम्ब से किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) अन्तर्गत यह प्रावधान है कि ''इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु **किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पॉच दिनों के पश्चात् नही किया जाएगा**।''

9. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त प्रावधान को नजरअंदाज कर प्रा0पत्र का अन्तरण किया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

10. अस्तु प्रथम अपील स्वीकार की जाती है, प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 27.07.2020 में वांछित सूचना, अन्तरित कार्यालय/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर से बिन्दुवार प्राप्त कर निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को अविलम्ब उपलब्ध कराई जावे, दस्तावेजी सूचना उपलब्ध नहीं होने पर भी तद्नुसार स्पष्टतः अपीलार्थी को सूचित करें। निर्णय की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर को भी प्रेषित की जावे।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)